महत्वपूर्ण/सयमबद्ध

संख्या-2791 /71-2-11-1028/83

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2011

विषय- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की प्रथम विनियमावली 2011 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा-41 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति के अधीन संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की प्रथम विनियमावली अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-1028/83 दिनांक 29 जुलाई, 2011 द्वारा सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) दिनांक 29-7-2011 में प्रकाशित की जा चुकी है, जिसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/71-2-11-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

E/Pankaj/Sunil Sir Go

क्रम-संख्या—175

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जुलाई, 2011

श्रावण 7, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या : 2683/71-2-11-1028/83

लखनऊ, 29 जुलाई, 2011

अधिसूचना

सा0प0नि0—56

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 (अधिनियम संख्या 30 सन् 1983) की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संस्थान की निम्नलिखित प्रथम विनियमावली बनाते है:–

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
प्रथम विनियमावली, 2011

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1 (1) यह विनियमावली संजय गॉधी, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान प्रथम विनियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं — 2 1– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में:–

(एक) अधिनियम' का तात्पर्य संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1983 से है,

(दो) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा–11 में यथा उपबंधित संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष से है,

(तीन) 'विभागीय पदोन्नति समिति' का तात्पर्य विभागीय पदोन्नति समिति से है,

(चार) 'विभाग' का तात्पर्य संस्थान के किसी शैक्षणिक विभाग से है,

(पॉच)संकाय सदस्य' का तात्पर्य अध्यापन कर्मचारि वर्ग से है और जिसमें प्रतिष्ठित आचार्य, पारंगत आचार्य, ख्याति प्राप्त आचार्य, ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य सम्मिलित है,

(छः) वित्तीय हस्तपुस्तिका' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय हस्तपुस्तिका से है,

(सात) 'मूल नियम' का तात्पर्य सरकारी सेवकों के लिए यथा प्रयोज्य मूल नियमों से है,

(आठ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(नौ) 'नियमावली' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली, 1991 से है,

(दस) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस विनियमावली में संलग्न अनुसूची से है,

(ग्यारह) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(बारह) 'भर्ती वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने की अवधि से है।

(2) इस विनियमावली में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जैसा कि उनके लिए अधिनियम और नियमावली में समनुदेशित है।

अध्याय–दो
अधिकारी और कृत्यकारीगण

अध्यक्ष

3 **अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियॉ**

अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली की अनुसूची एक और दो में उपबंधित है।

निदेशक

धारा–41(1)(ज).

4 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

संस्थान के कुलाध्यक्ष द्वारा निदेशक की नियुक्ति की जायेगी।

(ख) अहर्ता

निदेशक को किसी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्था में आचार्य/सह आचार्य/उपाचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष अध्यापन अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, जिसमें कम से कम पॉच वर्ष किसी विभाग में आचार्य के रूप में होना चाहिए। चिकित्सा राहत, चिकित्सा शोध, चिकित्सा शिक्षा अथवा लोक स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव और प्रशासनिक अनुभव और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा संस्था को इसके अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव रखने वालों को अधिमान दिया जा सकता है।

(ग) सेवाकाल

निदेशक अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु पैसठ वर्ष पूर्ण करने तक जो भी पहले हो के लिए पदभार ग्रहण करेगा।

(घ) निदेशक की शक्तियॉ और कर्तव्य –

(एक) निदेशक, शैक्षणिक परिषद्, चिकित्सालय परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और इन समितियों को संचालित करने अथवा अधिवेशन बुलाए जाने की शक्ति होगी।

(दो) वह शासी निकाय का उपाध्यक्ष होगा।

(तीन) वह संस्थान के समूह–'ख', 'ग' और 'घ' वर्ग के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा, और ऐसे परिसीमन और निर्बन्धनों के अधीन जैसा वह उचित समझे, इस शक्ति का प्रतिनिधायन अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों/अधिकारी को कर सकता है।

(चार) अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–एक के निबन्धन में निदेशक विभागाध्यक्ष होगा और विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य बातों के साथ–साथ नीचे उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा:–

(क) वह संस्थान के प्रशासन का प्रभारी होगा और संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कर्तव्य आवंटित करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करेगा जैसा आवश्यक हो।

(पॉच) उसे संस्थान के संकाय सदस्यों, रेजीडेंट्स, छात्रों, प्रशिक्षुओं और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को उस प्रकार से, जैसा वह संस्थान अथवा इसके चिकित्सालय की कार्य–प्रणाली के लिए ठीक समझे, उपयोग करने की शक्ति होगी।

(छः) वह संस्थान द्वारा या इसके विरूद्व विधि वादों अथवा प्रकियाओं में संस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा, पावर्स ऑफ अटार्नी हस्ताक्षरित करेगा और अभिवचन सत्यापित करेगा या संस्थान के किसी अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त करेगा और उस अधिकारी को इन कर्त्तव्यों को निष्पादित करने हेतु प्राधिकृत करेगा।

(सात) वह असीमित अवकाश के बिना क्लिनिकल, अध्यापन और शोध कर्तव्यों का निष्पादन जारी रख सकता है, और ड्यूटी लीव, सम्मेलन में भागीदारी विद्यार्जन संसाधन भत्ता, शोध अनुदान आदि जैसे कि किसी अन्य संकाय सदस्य को उपलब्ध हों, के साथ–साथ विभिन्न परिलब्धियॉ और सुविधाएं उपभोग करने का पात्र होगा।

(आठ) शासी निकाय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन निदेशक को परीक्षकों, विशेषज्ञों, निरीक्षकों, अनुसीमकों (माडरेटर्स) आदि को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(नौ) समस्त शोध प्रस्ताव चाहे वे संस्थान द्वारा निधिकृत किये जाने हों या बाह्य स्रोत अथवा दोनों के द्वारा, निदेशक के अनुमोदन के पश्चात ही उपकमित किये जायेंगे।

(दस) अनुसूची एक व दो में यथा उल्लिखित अन्य शक्तियॉ।

(ग्यारह) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन भी करेगा जैसा कि समय–समय पर संस्थान, शासी निकाय और अध्यक्ष के द्वारा उसे प्रत्यायोजित अथवा समनुदेशित किये जाएं।

अपर निदेशक (धारा–9 (छ) और नियम–5)

5 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

अपर निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

(ख) अपर निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य

(एक) अपर निदेशक, निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(दो) वह संस्थान के सामान्य प्रशासन जैसे कि नियुक्ति और कार्मिक मामले, निर्माण, अनुरक्षण उपापम इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किये जायं।

(चार) वह संस्थान और सरकार के मध्य समन्वय करेगा।

(पांच) वह संस्थान के सभी कानूनी निकाय बैठकों के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति होगा।

(छः) वह अनुसूची एक के स्तम्भ 4 में यथा उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा।

संकायाध्यक्ष 6

[(धारायें 9 (घ), 14 (1) और 41 (1)(ज)]

(क) चयन/नियुक्ति का माध्यम

(एक) शासी निकाय द्वारा संस्थान के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर संस्थान के आचार्यो में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी यदि उसे शासी निकाय द्वारा संस्थान के संकायाध्यक्ष के पद से च्युत, जिसके लिए लिखित में तीन महीने से अन्यून की नोटिस दे दी गयी हो, न किया जाय।

(दो) आचार्य के रूप में अधिवर्षता पर कोई व्यक्ति संकायाध्यक्ष का पद धारित करने से प्रविरत हो जायेगा।

(तीन) इस विनियमावली के प्रारम्भ पर संकायाध्यक्ष का पदधारित करने वाला कोई व्यक्ति अपने पदधारण के शेष कार्यकाल के अवसान अथवा अधिवर्षिता की आयु तक, जो भी पहले हो, पदधारण करता रहेगा।

(चार) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से जब संकायाध्यक्ष कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हो, तब उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन अध्यक्ष द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट संस्थान के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को विभागाध्यक्ष होने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हताएं अवश्य धारित करनी चाहिए।

[धारा–14 (2), और धारा 41 (1)(ज)]

(ख) संकायाध्यक्ष की शक्तियॉ और कर्तव्य

संस्थान के संकायाध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियॉ प्राप्त होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:

(एक) वह संस्थान में अध्यापन, प्रशिक्षण, और शोध के सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा;

(दो)वह निदेशक के नियंत्रणाधीन सभी शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभारी होगा;

(तीन) वह सभी छात्रों के प्रवेश और सभी परीक्षाओं का समन्वय करेगा;

(चार)वह निदेशक को शैक्षणिक पुरस्कार पारितोषिक आदि की संस्तुतियॉ अग्रसारित करेगा;

(पॉच)वह निदेशक के नियंत्रण और दिशा–निर्देश के अधीन शोध से सम्बन्धित कार्य का समन्वय करेगा;

(छः) वह समुचित प्राधिकारियों को शोध प्रस्ताव प्रेषित करेगा, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से निधियों की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव निदेशक के अनुमोदन के पश्चात ही प्रेषित किये जायेंगे;

(सात) वह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले, जिसमें शैक्षणिक कार्यो के व्यवहार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं, अपनी संस्तुतियों सहित निदेशक को अग्रसारित करेगा;

(आठ)वह छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति पुस्तिका और मुफ्त सहायता के पुरस्कार से सम्बन्धित सभी कार्यो के लिए उत्तरदायी होगा।

(नौ) वह शैक्षणिक बोर्ड के अनुमोदनार्थ सभी मामले निदेशक को अग्रसारित करेगा;

(दस) वह छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा और अनुशासनहीनता के लिए छात्रों को दण्डित करने की उसे शक्ति होगी तथा ऐसी कार्यवाहियों के लिए निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होगा;

(ग्यारह) वह विभिन्न विभागों में सहयोगी शोध तथा शैक्षणिक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होगा;

(बारह) वह ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी शासी निकाय द्वारा उसे समनुदेशित की जायं;

(तेरह) वह सभी कानूनी निकायों जैसे संस्थान, शासी निकाय, तथा वित्तीय समिति में आमंत्रित किया जायेगा;

(चौदह) वह ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियमावली के साथ–साथ अनुसूची एक तथा दो में अधिकथित की गयी हो या जो समय–समय पर निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित की जायंय

(पन्द्रह) वह ऐसे अन्य कर्तव्यों को सम्पादित करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा विनियमावली में विहित किया गया हो इसमें अनुसूची एक व दो सम्मिलित है या निदेशक द्वारा समय–समय पर उसे जैसा समनुदेशित किया जाय।

वित्त अधिकारी 7 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यमः**

धारा–41 (1)(ज)

संस्थान के वित्त अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(ख) वित्त अधिकारी की शक्तियॉं और कर्तव्यः

जैसा कि अधिनियम में अधिकथित हो।

कार्यपालक कुलसचिव 8 **(क) नियुक्ति का माध्यमः**

धारा–16 (1)व नियम (6)

कार्यपालक कुल सचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। कार्यपालक कुलसचिव की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विनियमावली में विहित की जायें।

(ख) कार्यपालक कुल सचिव की शक्तियॉं और कर्तव्यः–

जैसा कि अधिनियम में अधिकथित हों।

विभागाध्यक्ष 9 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

धारा–41 (ज)

विभागाध्यक्ष उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार उस विभाग का ज्येष्ठतम आचार्य होगा परन्तु यदि किसी विभाग में कोई आचार्य नहीं है, तब ज्येष्ठतम संकाय सदस्य, जो सह आचार्य से न्यून श्रेणी का न हो, विभाग का अध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि जहॉं किसी विभाग का ज्येष्ठतम व्यक्ति स्वेच्छा से प्रत्याहरित कर लेता है और सह आचार्य की श्रेणी से ऊपर या नीचे कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो, तब शासी निकाय किसी दूसरे विभाग के संकाय सदस्य को उस विभाग के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित करेगी;

परन्तु विभागाध्यक्ष के रूप में शासी निकाय द्वारा पदाभिहित कोई व्यक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विभागाध्यक्ष के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं अवश्य धारित करेगा।

धारा–41 (झ)(ज) **(ख) शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष की शक्तियॉं और कर्तव्य**

अधिनियम, नियमावली और इस विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन तथा निदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन शैक्षणिक विभाग के अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियॉं होंगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा :–

(एक) विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पाठ्य परिषद् द्वारा की गयी संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और भारतीय चिकित्सा परिषद् के मानकों के अनुसार वह विभाग के संकाय सदस्यों के परामर्श से अपने विभाग में अध्यापन कार्य को संगठित करेगा;

(दो) चिकित्सालय परिषद् और सांविधिक निकायों के विनिश्चयों के अनुसार और विभाग के संकाय सदस्यों के परामर्श से वह विभाग की क्लिनिकल सेवाओं को संगठित करेगा;

(तीन) वह अपने विभाग के भीतर शोध की समस्त प्रगति के लिए उत्तरदायी होगा ;

(चार) वह अपने विभाग की वर्तमान सम्पत्ति के स्टाक्स के रख–रखाव हेतु उत्तरदायी होगा और शासी निकाय द्वारा यथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, तथा;

(पॉच) उसकी अनुपस्थिति में अगला ज्येष्ठतम संकाय सदस्य विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

धारा 22 (1) और 41 (1)(ज)

10 **नियुक्ति की रीतिः–** (1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति निदेशक की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा आचार्य और ज्येष्ठ आचार्य में से की जायेगी;

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कार्यकाल इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने के दिनांक से दो वर्ष का होगा;

(3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन निदेशक से सीधे नियंत्रण में करेगा;

(4) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की शक्तियां और कर्तव्यः

(क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) वह चिकित्सालय परिषद का सदस्य सचिव होगा और इसके विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होंगे :–

(एक) चिकित्सालय का अनुरक्षण और रख–रखाव करना;

(दो) संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श करना और चिकित्सालय कर्मचारियों जैसे नर्स, तकनीशियनों और चिकित्सालय के अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और अनुशासन को बनाये रखना;

(तीन) रोगी से संबंधित गतिविधियों जैसे आहार सेवायें, लाण्ड्री सी एस एस डी, अभियांत्रिकी, फार्मेसी, रोगी कल्याण और चिकित्सालय लेखों आदि का अनुश्रवण करना;

(चार) रोगी देखभाल, चिकित्सालय प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के लिए प्रभावी निर्णय लेने में सहायता देने के लिए सम्पूर्ण चिकित्सालय की सुसंगत सूचनायें देने वाली चिकित्सालय प्रबन्धन प्रणाली का उपाय करना;

(पांच) समय से विशिष्ट गुणवत्ता की सेवायें प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना;

(छह) रूग्णता और मृत्युदर को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सर्वोत्कृष्ट रोगी देखभाल न्यूनतम लागत पर उपलब्ध कराने के लिए नियोजन, संगठन, कर्मचारि संरचना, समन्वय, नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से चिन्तन करना;

(सात) निदेशक द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कर्तव्यों का निष्पादन करना;

(5) चिकित्सालय में तैनात समस्त वित्त एवं लेखा कार्मिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होगें;

(6) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चिकित्सालय के विज्ञान प्रबन्धन के लिए भी उत्तरदायी होगा और वह स्वास्थ्य प्रशासन में संरत कार्मिकों के ज्ञान और कौशल को भी अद्यतन रखेगा;

(7) जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त हो या जब वह रूग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ हो तो उसके पद की शक्तियों और कृत्यों का सम्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो आचार्य से अनिम्न श्रेणी का हो, किया जायेगा जिसे निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।

चिकित्सा अधीक्षक

10-क **(1) नियुक्ति की रीतिः**

(क) चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(ख) चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यताओं में

(एक) एम0बी0बी0एस0 उपाधि

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रशासन/चिकित्सा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता/स्नातकोत्तर योग्यता और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समकक्ष 14 वर्षो का अध्यापन अनुभव।

(2) चिकित्सा अधीक्षक की शक्तियॉ और कृत्यः

(क) वह चिकित्सालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(ख) उसे निदेशक के नियंत्रण के अध्यधीन निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :–

(ग) वह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन चिकित्सालय का अनुरक्षण और रख–रखाव करेगा;

(घ) वह चिकित्सालय के कर्मचारियों जैसे नर्स, तकनीशियन और चिकित्सालय के अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारि वर्ग के कार्य निष्पादन और अनुशासन को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ड़) चिकित्सा अधीक्षक द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ का अधिष्ठान कार्य देखा जायेगा। निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जानी वाली समस्त पत्रावलियां और प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भेजे जायेगे।

(च) वह रोगी से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे आहार सेवाएं, रोगी कल्याण, बिल लेखा तैयार करना आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जब चिकित्सा अधीक्षक का पद रिक्त या वह रुग्णता, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन मे असमर्थ हो तो उसके पद की शक्ति और कृत्यों का निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
धारा 22 (3) और 41 (1)(ज)

11 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अर्हताएं और नियुक्ति की विधि ऐसी होगी जैसा कि शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की शक्तियां और कर्तव्य

(1) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) संस्थान के सामान्य प्रशासन तथा कार्मिक अनुभाग की देखभाल करेगा।

(2) वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए अपर निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन)
धारा 22 (3) और 41 (1)(ज)

12 **(क) नियुक्ति/चयन का माध्यम**

संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) की अर्हताएं और नियुक्ति की विधि ऐसी होगी जैसा कि शासी निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

(ख) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) की शक्तियां और कर्तव्य

(1) संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबन्धन):–

(क) सामग्री प्रबन्धन अनुभाग का अध्यक्ष होगा और निदेशक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(ख) उच्च स्तरीय कय समिति तथा कय समिति का सदस्य सचिव होगा य

(ग) अपने अधीन कार्यरत सभी श्रेणी के स्टाफ के मध्य कार्य निष्पादन बनाए रखने तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) को ऐसी अन्य शक्तियॉ होंगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो समय–समय पर उसे निदेशक द्वारा समनुदेशित किए जायें।